

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 638 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2010—पौष 3, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010

क्र. बी-11-5-2010-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2 दिनांक 16 मई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2010 के लिये दिनांक 25 जून 2010 को अधिसूचना जारी की गई है, उक्त जारी अधिसूचना में संलग्न अनुसार संशोधन जारी किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.

शुद्धि पत्र

1. पृष्ठ क्रमांक 13 एवं 14 पर शिवपुरी जिले में उल्लेखित पटवारी हल्का नं. 70 से 136 को नरवर तहसील के स्थान पर कोलारस तहसील में पढ़ा जावे.
2. पृष्ठ क्रमांक 50 पर शहडोल जिले की सोहागपुर तहसील के राजस्व निरीक्षक मण्डल, सोहागपुर-1 में पटवारी हल्का नंबर 78 को दो बार लिखा गया है, अतः क्र. 76 के पश्चात क्र. 77 एवं पटवारी हल्का, सोहागपुर पढ़ा जावे.
3. पृष्ठ क्रमांक 119 पर सागर जिले की तहसील मालथोन के रा. निरीक्षक मण्डल, बांदरी में पटवारी हल्का नं. 65 छूटा हुआ है अतः क्र. 66 के पूर्व क्रमांक 65 पर पटवारी हल्का का नाम मूंडरी पिठोरिया में सोयाबीन फसल को अधिसूचित माना जावे.
4. पृष्ठ क्रमांक 132 पर दमोह जिले की तहसील पथरिया के रा. नि. मं., नरसिंहगढ़ के पटवारी हल्का मनकोरा का क्रमांक 38 लिखा हुआ है इसके स्थान पर क्रमांक 36 पढ़ा जावे.
5. पृष्ठ क्रमांक 157 पर बैतूल जिले की चिचोली तहसील के रा. नि. मं., चिचोली में पटवारी हल्का निवारी में क्रमांक नहीं दिया गया है इसे क्रमांक 29 पढ़ा जावे.

1275